प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-जीओ-10/सम्पेक्षा/महामाया-आ0यो0/08-09 दिनांक 16 मई-2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के कियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-336/26-ब0प्र0-2008-3 बजट/ 2007 दिनांक 01-5-2008 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-83 में अनुसूचित जाति आवास योजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से रू0 1,00,00,00,000/- (रूपये एक अरब मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त धनराशि आपको संलग्नक के कालम तीन में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :-

2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय / उपयोग वित विभाग की सहमति से निर्धारित नियमावली/ जारी स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा। एस0सी0एस0पी0 /टी0एस0पी0 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासनादेश दिनांक 9.4.2007 एवं दिनांक 8.5.2008 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण /सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाये।

4- आवंटित की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में स्वीकृत अप्रयुक्त अवशेष धनराशि पी0एल0ए0/डिपोजिट खाते आदि में उपलब्ध न हो।

5- आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

6- आवंटित की जा रही इस धनराशि परिव्यय उपलब्ध है यदि कोई गैप हो तो उसे नियमानुसार पूर्ण किया जायेगा।

7- धनराशि का उपयोग महामाया आवास योजना हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर किया जायेगा।

8– इस आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो सम्बंधित मुख्य लेखाधिकारी आदि का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना आयुक्त/अपर आयुक्त लेखा ग्राम्य विकास,उ0प्र0 को दी जाय।

9– इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखाशीर्षक–" 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03 अनुसूचित जाति आवास योजना–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

10– आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर सं0 एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11– उक्त आवंटन केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ–140 पर अंकित कर दिया गया है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रांकः जीओ–10/सम्पेक्षा/आईएवाई–सा0/08–09 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

3– समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।

4– समस्त कोषाधिसकारी, उ0प्र0।

5– समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।

6– विशेष सचिव, समाज कल्याण, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–336/26–ब0प्र0–2008–3–बजट/2007, दिनांक 1–5–2008 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

7– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3/राज्य योजना आयोग–2/नियोजन अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–2।

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

वर्ष 2008–09 के लिए महामाया आवास योजना के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 स0	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	AGRA	56.00	56.00
2	ALIGARH	28.00	28.00
3	ALLAHABAD	238.00	238.00
4	AMBEDKRNGR	161.00	161.00
5	AZAMGARH	364.00	364.00
6	BAGPAT	0.00	0.00
7	BAHRAICH	84.00	84.00
8	BALLIA	196.00	196.00
9	BALRAMPUR	42.00	42.00
10	BANDA	161.00	161.00
11	BARABANKI	588.00	588.00
12	BAREILLY	70.00	70.00
13	BASTI	63.00	63.00
14	BIJNOR	56.00	56.00
15	BUDAUN	119.00	119.00
16	BULANDSHR	14.00	14.00
17	CHANDAULI	154.00	154.00
18	CHITRAKOOT	60.00	60.00
19	DEORIA	77.00	77.00
20	ETAH	7.00	7.00
21	ETAWAH	63.00	63.00
22	FAIZABAD	91.00	91.00
23	FARUKKHABAD	49.00	49.00
24	FATEHPUR	273.00	273.00
25	FIROZABAD	49.00	49.00
26	G.B. NAGAR	28.00	28.00
27	GHAZIABAD	0.00	0.00
28	GHAZIPUR	280.00	280.00
29	GONDA	196.00	196.00
30	GORAKHPUR	105.00	105.00
31	HAMIRPUR	49.00	49.00
32	HARDOI	574.00	574.00
33	HATHRAS	7.00	7.00
34	J.P. NAGAR	28.00	28.00
35	JALAUN (ORAI)	98.00	98.00
36	JAUNPUR	266.00	266.00
37	JHANSI	49.00	49.00

क्र0 स0	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
38	KANNAUJ	77.00	77.00
39	KANPUR (DEHAT)	0.00	0.00
40	KANPURNAGAR	119.00	119.00
41	KAUSHAMBI	175.00	175.00
42	KHERI	546.00	546.00
43	KUSHI NAGAR	483.00	483.00
44	LALITPUR	56.00	56.00
45	LUCKNOW	189.00	189.00
46	MAHARAJGANJ	42.00	42.00
47	MAHOBA	56.00	56.00
48	MAINPURI	28.00	28.00
49	MATHURA	14.00	14.00
50	MAU	196.00	196.00
51	MEERUT	0.00	0.00
52	MIRZAPUR	266.00	266.00
53	MORADABAD	0.00	0.00
54	MUZAFFARNGR	0.00	0.00
55	ORRAIYA	98.00	98.00
56	PILIBHIT	56.00	56.00
57	PRATAPGARH	203.00	203.00
58	RAEBARELI	371.00	371.00
59	RAMPUR	14.00	14.00
60	SAHARANPUR	35.00	35.00
61	SANT K. NAGAR	161.00	161.00
62	SANT R. NAGAR	133.00	133.00
63	SHAHJAHANPUR	175.00	175.00
64	SHRAVASTI	112.00	112.00
65	SIDDH. NAGAR	42.00	42.00
66	SITAPUR	728.00	728.00
67	SONBHADRA	217.00	217.00
68	SULTANPUR	119.00	119.00
69	UNNAO	490.00	490.00
70	VARANASI	56.00	56.00
	Total	10000.00	10000.00

(रू0 एक अरब मात्र)

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

1402 — पी0 10 | ग्रा0वि0 / 08
सं0अ0 9/5/08

संख्या- 336 /26-ब0प्र0-2008-3 बजट/2007

प्रेषक,

राम गणेश
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

6.5.2008
3041/PA/CRD/08
6-5-08

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांकः 01 मई ~~अप्रैल,~~ 2008

अपर आयुक्त (लेखा) / अपर आयुक्त (कार्यक्रम)

विषयः- वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति में आवास विहीन पात्र परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महामाया आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 में अनुसूचित जाति आवास योजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से धनराशि रू0 100,00,00,000/- (रू0 एक अरब मात्र) आपके निस्तारण पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते है :-

6.5.2008

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित नियमावली/ जारी स्थाई आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा । एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- शासनादेश दिनांक 9 अप्रैल, 2007 तथा दिनांक 8 मई, 2007 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

CAO
8.5.08
(नवनीत कुमार)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य वि0 वि0

3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा । धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व मे स्वीकृत अप्रयुक्त अवशेष धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खातो आदि में उपलब्ध न हो ।

4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।

5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है । यदि कोई गैप है तो इसे नियमानुसार पूर्ण किया जायेगा ।

8/5/08

6- धनराशि का उपयोग महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर किया जायेगा तथा धनराशि का आवंटन महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा ।

7- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो का विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-''2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-अनुसूचित जाति आवास योजना-27-सब्सिडी'' के नामें डाला जायेगा ।

...........2/-

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपदवार फॉट तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें ताकि धनराशि का आहरण करते हुये इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सके ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-1071/दस-2008-231/2008, दिनांक 20 मार्च, 2008 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम गणेश)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 336 (1)/26-ब0प्र0-2008-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।
4- समस्त परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।
5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-3/नियोजन अनु0-3/रा0यो0 आयोग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2
8- कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्डफाइल ।

आज्ञा से,